बैठक

संख्या–548 / X–3–18–04(01) / 2018

प्रेषक

आलोक कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्,
उत्तराखण्ड।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 देहरादून: दिनांक:–05 जुलाई, 2018

विषयः– राष्ट्रीय बांस मिशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (State Level Executive Committee) की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–90 / NBM, दिनांक 04.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन की गतिविधियों को राज्य स्तर पर सुगमतापूर्वक संचालित किये जाने तथा बांस एवं प्राकृतिक रेशे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (पदेन) का गठन किये जाने के अतिरिक्त उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय बांस मिशन की गतिविधियों को राज्य स्तर पर सुगमतापूर्वक संचालित किये जाने तथा बांस एवं प्राकृतिक रेशे को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु नोडल विभाग एवं ''राज्य बांस विकास अभिकरण'' का मिशन डायरेक्टर नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त आपके उक्त पत्र द्वारा यह भी अनुरोध किया गया है कि राष्ट्रीय बांस मिशन की वर्ष 2018–19 की कार्ययोजना को राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (State Level Executive Committee) की स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 10.07.2018 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय बांस मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक से पूर्व राष्ट्रीय बांस मिशन को प्रस्तुत किया जाना है।

2– तत्क्रम में कार्यालय ज्ञाप संख्या–527(1)/X–3–18–04(01)2018, दिनांक 05.07.2018 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन की गतिविधियों को राज्य स्तर पर सुगमतापूर्वक संचालित किये जाने तथा बांस एवं प्राकृतिक रेशे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (पदेन) का गठन किया गया है एवं शासनादेश संख्या–527 / X–3–18–04(01)2018, दिनांक 05.07.2018 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा नोडल विभाग एवं ''राज्य बांस विकास अभिकरण'' का मिशन डायरेक्टर नामित किया गया है।

3– उक्त के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 06.07.2018 को मध्याह्न 01:00 बजे उनके कार्यालय कक्ष में बैठक निर्धारित की गई है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया बैठक की सूचना व एजेण्डा समस्त प्रतिभागियों हेतु निर्गत करते हुए निर्धारित बैठक का आयोजन किये जाने एवं तैयारी हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Alok

(आलोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।

D/meeting/2018

संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(2) वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(3) निजी सचिव–सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।

(आलोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।

D/meeting/2018

उत्तराखण्ड शासन

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-3

संख्या- /X-3-18-04(01)2018

देहरादून दिनांक 05 जुलाई, 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय बांस मिशन की गतिविधियों को राज्य स्तर पर सुगमतापूर्वक संचालित किये जाने तथा बांस एवं प्राकृतिक रेशे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (पदेन) का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

(1)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	– अध्यक्ष
(2)	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन	– उपाध्यक्ष
(3)	सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(4)	सचिव, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(5)	सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(6)	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड	– सदस्य
(7)	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम	– सदस्य
(8)	महानिदेशक, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्	– सदस्य
(9)	कुलपति, गोविन्द बल्लभ कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	– सदस्य
(10)	कुलपति, वन अनुसंधान संस्थान (डीम्ड) विश्वविद्यालय, देहरादून	– सदस्य
(11)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्, उत्तराखण्ड	– सदस्य सचिव

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।

संख्या–527(I) (1) / X –3–18–04(01)2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समिति के नामित सदस्य।
2. अध्यक्ष, बांस एवं रेशा विकास परिषद्, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार सिंह)
अनु सचिव।

D/2018/Karyalay Gyap

संख्या–527 / X–3–18–04(01) / 2018

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यॉकी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1) प्रमुख वन संरक्षक (HoFf),
उत्तराखण्ड।

(2) प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद्, उत्तराखण्ड।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांकः– 05 जुलाई 2018

विषयः– राज्य स्तर पर बांस मिशन को संचालित करने हेतु नोडल विभाग तथा "राज्य बांस विकास अभिकरण" का मिशन डायरेक्टर नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख वन सरंक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांस एवं रेशा विकास परिषद्, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–55 / NBM, दिनांक 29.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड में राष्ट्रीय बांस मिशन की गतिविधियों को राज्य स्तर पर सुगमतापूर्वक संचालित किये जाने तथा बांस एवं प्राकृतिक रेशे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न तालिकानुसार नोडल विभाग एवं "राज्य बांस विकास अभिकरण" का मिशन डायरेक्टर नामित किया जाता है :–

1	नोडल विभाग	प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तरखण्ड
2	राज्य बांस विकास अभिकरण का मिशन डायरेक्टर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांस एवं रेशा विकास परिषद्, उत्तराखण्ड।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
सचिव।

D/Note & Drft/F-3/May & June/G.O.Let/2018